भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1455

उत्तर देने की तारीख 15.12.2022

कुटीर उद्योग

1455 श्रीमती मंजुलता मंडल:
श्री जी. सेल्वमः
श्री सी. एन. अन्नादुरई:
श्री गजानन कीर्तिकरः
श्री धनुष एम. कुमार:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः

(क) क्या कुटीर उद्योगों से संबंधित उद्यमियों को अधिकांश राज्यों में विशेषरूप से तमिलनाडु और महाराष्ट्र में प्रशिक्षित किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार कुटीर उद्योगों का आधुनिकीकरण करने में विफल रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या उदारीकरण के कारण गांवों में कुटीर उद्योग धीरे-धीरे लुप्त हो रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गांवों में कुटीर उद्योगों को परिभाषित करने और उनकी गणना करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के आर्थिक विकास में लघु और कुटीर उद्योगों का योगदान क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में रोजगार के अवसर सृजित करने में कुटीर उद्योगों की क्षमता/योगदान के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) कुटीर उद्योगों को बाजार उपलब्ध कराने और उन्हें उदारीकृत बाजार शक्तियों से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इसके परिणाम क्या रहे?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) 'कुटीर उद्योग' को खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के दायरे के अंतर्गत 'कुटीर उद्योग' की विस्तृत रूपरेखा को 'ग्राम उद्योग' कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है और इसके कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के उद्देश्य से मुख्य रूप से छह समूहों में वर्गीकृत किया गया है जो निम्नलिखित हैं:

1. कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एबीएफपीआई)
2. खनिज आधारित उद्योग (एमबीआई)
3. स्वास्थ्य और सौंदर्य प्रसाधन उद्योग
4. हस्तनिर्मित कागज, चमड़ा और प्लास्टिक उद्योग (एचपीएलपीआई)
5. ग्रामीण अभियांत्रिकी और नवीन प्रौद्योगिकी उद्योग (आरईएनटीआई)
6. सेवा उद्योग

एमएसएमई मंत्रालय, देशभर में ग्रामोद्योगों सहित सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में केवीआईसी के साथ 2008-09 से एक ऋण संबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन (पीएमईजीपी) स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है।

पीएमईजीपी के अंतर्गत जिन लाभार्थियों ने नए उद्यमों की स्थापना की है, उनको केवीआईसी, खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी), केंद्रीय सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण केंद्रों के साथ ही मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्रों, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी), राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड), राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निमस्मे), भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) और एमएसएमई मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत उनके सहयोगी संस्थानों के माध्यम से उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार, बैंक, ग्रामीण विकास और स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (रुडसेटी), प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन और सरकार द्वारा चिन्हित अन्य संगठन/संस्थान भी समय-समय पर ऐसे प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

इसके अतिरिक्त, केवीआईसी विभिन्न ग्रामीण उद्योगों में ग्रामीण और परंपरागत कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों जैसे कि मधुमक्खी पालन उद्योगों के लिए हनी मिशन, पॉटरी कारीगरों के लिए कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम, चमड़ा कारीगरों के लिए चमड़ा शिल्प कार्यक्रम आदि के कार्यान्वयन के माध्यम से औजार और उपकरण तथा पथ-प्रदर्शन सहायता प्रदान करता है।

केवीआईसी परंपरागत उद्योगों में स्व-रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए बेरोजगार युवाओं के लिए देश में कौशल विकास कार्यक्रम (एसडीपी) और उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रमों (ईएपी) का भी संचालन करता है।

तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों सहित देश में वर्ष 2021-22 के दौरान कौशल विकास कार्यक्रम (एसडीपी), उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी) और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के अंतर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख) एमएसएमई मंत्रालय द्वारा केवीआईसी और कयर बोर्ड के माध्यम से ग्रामोद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए उठाए गए कदम **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

(ग) एवं (घ) जी नहीं, गांवों में कुटीर उद्योग धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत सहायता-प्राप्त सूक्ष्म इकाइयों की संख्या वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाती है, जो कि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है:

वर्ष	परियोजना	मार्जिन मनी	रोजगार
2019-20	66653	1950.82	533224
2020-21	74415	2188.80	595320
2021-22	103219	2977.66	825752
2022-23 (31.10.2022 तक)	34476	1111.10	275808

(ङ) रोजगार के अवसर सृजित करने में कुटीर उद्योगों की क्षमता/योगदान के संबंध में कोई आकलन नहीं किया गया है। तथापि, यह अनुमान लगाया गया है कि पीएमईजीपी स्कीम के अन्तर्गत प्रति परियोजना औसतन 8 व्यक्ति नियोजित हैं।

(च) केवीआईसी द्वारा खादी और ग्रामोद्योग इकाइयों को विपणन सहायता प्रदान करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के ब्यौरे **अनुबंध-III** में दिए गए हैं।

****

अनुबंध-I

दिनांक 15.12.2022 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1455 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

वर्ष 2021-22 के दौरान कौशल विकास कार्यक्रम (एसडीपी), उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी) और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के अंतर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसडीपी	ईएपी	ईडीपी
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	124
2.	आंध्र प्रदेश	977	388	2504
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	167
4.	असम	1264	2009	2544
5.	बिहार	710	1056	2466
6.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	0	0	19
7.	छत्तीसगढ़	0	0	2769
8.	दादरा नगर हवेली	0	0	5
9.	दमन और दीव	0	0	7
10.	दिल्ली	1109	2429	81
11.	गोवा	0	0	80
12.	गुजरात	0	0	4223
13.	हरियाणा	0	0	1720
14.	हिमाचल प्रदेश	0	0	1055
15.	जम्मू कश्मीर	760	1040	22098
16.	झारखंड	0	0	1438
17.	कर्नाटक	1127	3796	5937
18.	केरल	1792	3405	2296
19.	लद्दाख (संघ राज्य क्षेत्र)	0	0	235
20.	लक्षद्वीप	0	0	4
21.	मध्य प्रदेश	1564	2832	6553
22.	महाराष्ट्र	**4249**	**7483**	**4164**
23.	मणिपुर	0	0	743
24.	मेघालय	0	0	457
25.	मिजोरम	535	1232	553
26.	नागालैंड	180	537	761
27.	ओड़िशा	219	0	2549
28.	पुदुचेरी	0	0	55
29.	पंजाब	0	0	1568
30.	राजस्थान	225	1822	2566
31.	सिक्किम	0	0	65
32.	तमिलनाडु	**3318**	**3328**	**5409**
33.	तेलंगाना	0	0	2468
34.	त्रिपुरा	0	0	831
35.	उत्तर प्रदेश	1723	4632	10597
36.	उत्तराखंड	800	3240	1820
37.	पश्चिम बंगाल	828	2127	2357
	कुल	**21380**	**41356**	**93288**

अनुबंध-II

दिनांक 15.12.2022 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1455 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध- II

एमएसएमई मंत्रालय देश में ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है:

i) परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति): इस स्कीम में परंपरागत ग्रामोद्योगों को उत्पादन उपकरणों की प्रतिस्थापना, सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) की स्थापना, उत्पाद विकास, गुणवत्ता सुधार, वर्धित विपणन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण आदि के लिए आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। आज की तारीख में, 498 क्लस्टरों को अनुमोदित किया गया है और वे कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इन 498 स्फूर्ति क्लस्टरों में से, ग्रामीण और परंपरागत औद्योगिक इकाइयों के 266 क्लस्टर क्रियाशील हैं।

केवीआईसी:

ii) संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए): इस उप-स्कीम के अंतर्गत, केवीआईसी अवसंरचना विकास और विपणन सहायता के लिए खादी संस्थाओं को बाजार विकास सहायता प्रदान करता है। खादी संस्थाओं और केवीआईसी द्वारा संवर्धित उद्यमियों द्वारा विनिर्मित उत्पादों के विपणन में सहायता के लिए केवीआईसी द्वारा प्रचार, प्रसार और प्रदर्शनियां भी आयोजित की जाती हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान दिनांक 30.11.2022 तक 570 खादी संस्थानों को 67.85 करोड़ रु. की राशि की वित्तीय सहायता संवितरित की गई है।

iii) ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईसेक): इस उप स्कीम के अंतर्गत, खादी संस्थाएं कार्यशील पूंजी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकों से ऋण ले सकते हैं और उन्हें केवल 4% ब्याज देना होता है और बैंकों द्वारा प्रभारित ब्याज का बाकी हिस्सा भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। दिनांक 30.11.2022 तक वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 989 खादी संस्थाओं को 19.10 करोड रु. की राशि संवितरित की गई है।

iv) 'कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और विपणन और अवसंरचना के लिए सहायता': इस उप-स्कीम के अंतर्गत, मौजूदा कमजोर खादी संस्थानों को अपनी अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और चयनित खादी बिक्री केंद्रों के नवीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 17 खादी संस्थाओं के अवसंरचना विकास पर 1.28 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 30.11.2022 तक विपणन सहायता घटक के अंतर्गत, आधुनिकरण के लिए खादी संस्थाओं के 10 बिक्री केंद्रों को अनुमोदित किया गया है।

कयर बोर्ड:

v) 'कयर विकास योजना' के अंतर्गत 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी' की उप स्कीम उत्पादन प्रक्रिया का आधुनिकीकरण : इस उप-स्कीम का उद्देश्य क्षमता सुधार के लिए प्रौद्योगिकियों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं को शामिल करना, उत्पादन प्रक्रिया की लागत में कटौती करना, नई पीढ़ी और प्रतिभा को व्यवहार्य कैरियर विकल्प के रूप में कयर क्षेत्र को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इसके अतिरिक्त, स्कीम का उद्देश्य नए उत्पाद उपलब्ध करने के साथ-साथ अन्य कच्चे माल जैसे कि प्लास्टिक या अन्य धातुओं से बने प्रचलित उत्पादों का विकल्प प्रदान करने के लिए उत्पादों और तकनीकों में नवपरिवर्तन लाना है।

अनुबंध-III

दिनांक 15.12.2022 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1455 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-III

खादी और ग्रामोद्योग इकाइयों को विपणन सहायता प्रदान करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i) केवीआई संस्थाओं का नेटवर्क परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा उत्पादित उत्पादों की बिक्री के लिए एक विशाल मंच प्रदान करता है। इसके पास विभागीय बिक्री केंद्रों और केवीआईसी के स्वामित्व वाली अपनी शाखाओं सहित देशभर में लगभग 8035 "खादी इंडिया" बिक्री केंद्रों का एक विशाल नेटवर्क है।

ii) केवीआईसी ने केवीआई उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री शुरू की है जो www.ekkhadiindia.com और www.khadiindia.gov.in के माध्यम से प्रत्येक भारतीय के द्वार तक उपलब्ध है।

iii) केवीआईसी जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियों के आयोजन द्वारा विपणन सहायता प्रदान करता है जहां केवीआईसी द्वारा संवर्धित संस्थान, उद्यमी अपने उत्पादों को बेच सकते हैं और प्रदर्शित कर सकते हैं।

iv) केवीआईसी खरीददारों को ग्राहकों से जोड़ने के उद्देश्य से ई-मार्केट लिंकेज के माध्यम से उत्पाद आपूर्ति/विपणन तंत्र की व्यवस्था कर रहा है।

v) केवीआईसी, एमएसएमई मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों आदि में भाग लेने के लिए एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

vi) प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया के माध्यम से केवीआई उत्पादों का प्रचार।